भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 426

05.02.2024 को उत्तर के लिए

स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए निधि

426. श्री भोला सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए पांच मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को 255.12 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के शहरों में स्वच्छता सुनिश्चित करने और प्रदूषण कम करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) जनवरी, 2019 में शुरू किया गया है जो वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी से संबंधित एक दीर्घकालिक, समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति है। इस एनसीएपी के तहत, आधार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 131 शहरों में विविक्त कणों की सांद्रता में 20 से 30% की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इसके बाद, आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2025-26 तक पीएम सांद्रता के संदर्भ में 40% तक की कमी लाने और राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है। शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए संबंधित शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। एनसीएपी के तहत सभी 131 शहरों/यूएलबी ने शहरी कार्य योजना तैयार कर ली है।

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले 7 शहरों यथा आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी को 395 करोड़ रुपये की

धनराशि आवंटित की गई है। आवंटित की गई धनराशि में से इन शहरों के लिए 278.27 करोड़ रुपये का अनुदान जारी करने की सिफारिश की गई है, जिसमें 138.27 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान भी शामिल है।

एनसीएपी के तहत किए गए प्रयासों से, वित्तीय वर्ष 2017-18 के आधार वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 131 शहरों में से 90 शहरों ने वार्षिक पीएम10 सांद्रता के संदर्भ में वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 शहरों ने पीएम10 (60 $\mu g/m^3$) संबंधी राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है। जिन शहरों में सुधार हुआ है उनका ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

एनसीएपी के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

वित्तीय वर्ष 2017-18 **की तुलना में वित्तीय वर्ष** 2022-23 **में वायु गुणवत्ता में सुधार वाले** 131 **शहरों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा**;

क्रं. सं.	**शहर**	**शहरों/कस्बों की संख्या**	**वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम10 सांद्रता में सुधार, (प्रतिशत)**
1	वाराणसी, फिरोजाबाद, तूतीकोरिन, देहरादून, मुरादाबाद, बरेली, त्रिची, नालागढ़, अहमदाबाद, अकोला, कोहिमा, शिवसागर, आगरा, लखनऊ, सुंदर नगर	**15**	>40
2	राजकोट, कानपुर, अमृतसर, दीमापुर, धनबाद, लातूर, कोलकाता, श्रीनगर, *अमरावती, गोरखपुर, गाजियाबाद	**11**	>30-40
3	रायबरेली, जालंधर, परवाणू, ग्रेटर मुंबई, नया नांगल, खन्ना, अनंतपुर, डेरा बाबा नानक, बेंगलुरु, इलाहाबाद, चित्तूर, बर्नीहाट, हैदराबाद, नासिक, रांची, कडापा, अलवर, खुर्जा, जोधपुर, वडोदरा, ओंगोल, काला अंब, सांगली	**23**	>20-30
4	ऋषिकेश, राजमहेंद्रवरम्, कुरनूल, दुर्ग भिलाईनगर, तालचेर, देवांगेरे, जयपुर, बद्दी, ठाणे, उल्हासनगर, दिल्ली, नेल्लोर, नोएडा, मंडी गोबिंदगढ़	**14**	**>10-20**
5	कोल्हापुर, हावड़ा, सूरत, गुंटूर, बदलापुर, एलुरु, कोटा, फ़रीदाबाद*, दुर्गापुर, नलगोंडा, जमशेदपुर, सोलापुर, जालना, पुणे, जलगाँव, मदुरैइ, अनपरा, गजरौला, कलिंग नगर, हुबली-धारवाड़, नागपुर, लुधियाना, पटियाला, बालासोर, बैरकपुर, विजयवाड़ा, हल्दिया	**27**	**1-10**
6	सिल्चर, चेन्नई, आसनसोल, जम्मू, उदयपुर, अंगुल, संगारेड्डी, चंडीगढ़, चंद्रपुर, श्रीकाकुलम, गुवाहाटी, विजयनगरम्, पटेंचेरु, झाँसी, भोपाल, मेरठ, रायपुर, पटना, कटक, काशीपुर, सागर, ग्वालियर, नवी मुंबई, दमताल, डेरा बस्सी, मुजफ्फरपुर, उज्जैन, पौंटा साहिब, कोरबा, जबलपुर, देवास, राउरकेला, इंदौर, गुलबुर्गा, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, नलबाड़ी, नागांव, विशाखापत्तनम, वसई विरार, गया	**41**	**<1**
कुल		**131**	

*****

अनुबंध-II

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय

I. वाहनीय उत्सर्जन :

i. दिल्ली के एनसीटी में अप्रैल, 2018 से और देश के शेष हिस्से में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-IV के स्थान पर सीधे बीएस-VI ईंधन मानक लागू करना।

ii. सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल के नेटवर्क को बढ़ाकर और अधिक शहरों को शामिल किया गया है।

iii. एक्सप्रेस-वे और राजमार्गों के विकास से भी ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम किया जा रहा है।

iv. दिल्ली से गैर निर्दिष्ट यातायात को विपथित करने के लिए ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस़-वे में यातायात शुरू किया गया है।

v. दिल्ली और एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। (माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 29.10.2018 का आदेश)

vi. दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता के इंजन वाले डीज़ल वाहनों पर पर्यावरण सुरक्षा प्रभार (ईपीसी) लगाया गया है।

vii. सीएनजी, एलपीजी जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधनों और पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की शुरूआत करना।

viii. इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता में छूट दी गई है।

ix. सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सड़कों में सुधार तथा और अधिक पुलों का निर्माण किया गया है।

x. दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से प्रवेश शुल्क और पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार का संग्रहण करने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा आरएफआईडी (रेडियों-फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी) प्रणाली कार्यान्वित की गई।

xi. अप्रैल, 2020 से देश भर में बीएस-VI मानकों का अनुपालन करने वाले वाहनों की शुरूआत करना।

xii. कंम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र संस्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधनों में उपयोग के लिए सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए ''किफायती परिवहन हेतु संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी)'' को एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया है।

xiii. भारी उद्योग मंत्रालय फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलैक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम-II इंडिया) स्कीम के तहत ई-वाहनों पर रियायत देता है।

xiv. दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रति माह 100 किलोलीटर से अधिक गैसोलीन बेचने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों तथा एक लाख से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों में प्रति माह 300 किलोलीटर से अधिक पेट्रोल बेचने वाले पंपों पर वाष्प रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) की स्थापना करना।

II. औद्योगिक उत्सर्जन :

i. ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SO_2 और NO_x उत्सर्जन मानकों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

ii. एनसीआर राज्यों में दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 से ईंधन के रूप में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना तथा अनुमति प्राप्त प्रक्रियाओं (सीमेंट संयंत्रों, चूना भट्टियों और कैल्शियम कार्बाइड विनिर्माण इकाईयों में प्रसंस्करणों) में प्रयोग को छोड़कर दिनांक 26 जुलाई, 2018 से देश में आयातित पेट-कोक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना।

iii. औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी ईंधन में परिवर्तित करना।

iv. अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत उत्सर्जन निगरानी उपकरणों की संस्थापना करना।

v. प्रदूषण में कमी लाने के लिए ईंट-भट्टों को जिग-जैग प्रौद्योगिकी या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित करना या ईंट बनाने में ईंधन के रूप में पाइप्ड नैचुरल गैस का उपयोग करना।

vi. रेट्रो-फिट उत्सर्जन के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित करना।

vii. सकल मशीनीकृत विद्युत 800 किलोवाट तक का उत्पादन करने के लिए डीजल विद्युत उत्पादन सेट ईंजन के लिए नियंत्रण उपकरण (आरईसीडी) विकसित किए गए।

viii. कोयला आधारित पुराने विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध रीति से बंद करने, मानकों का अनुपालन करने, शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क, शहरी क्षेत्रों में उन्नत विद्युत निर्भरता पर बल देने, आदि जैसे क्षेत्रों में अल्प कार्बन रणनीतियां विकसित करना।

ix. दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक उपकरणों में ईंधन के रूप में बायोमास/कृषि अवशेषों के प्रसंस्करण के लिए एक पारि-प्रणाली विकसित करना।

x. दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक उपकरणों में ईंधन के रूप में पीएनजी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समान और किफायती पीएनजी मूल्य निर्धारण नीति बनाना।

III. धूल और अपशिष्ट को जलाने के कारण वायु प्रदूषण

1. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, अपशिष्ट टायर, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट को शामिल करते हुए आठ अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना जारी करना।
2. अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों जैसी अवसंरचना की स्थापना करना।
3. प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्पादको पर उत्पादक विस्तारित दायित्व (ईपीआर) निर्धारित कर दिया गया है।
4. बायो-मास/कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाना।
5. भलस्वा, ओखला और गाजीपुर में तीन कचरा निपटान स्थलों के जैव-खनन का कार्य किया जा रहा है।
6. 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु कृषिगत मशीनीकरण को बढ़ावा देने' से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत, वैयक्तिक किसानों को 50 प्रतिशत रियायत पर और कस्टम हाईरिंग सेंटरों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत रियायत के साथ स्व-स्थाने फसल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कृषिगत मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2022 में इस स्कीम का कृषिगत मशीनीकरण हेतु उप-

मिशन (एसएमएएस) में विलय कर दिया गया है और एसएमएएम का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) में विलय कर दिया गया है।

7. एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग (सीएक्यूएम) ने दिनांक 17.09.2021 को दिल्ली की 300 किमी. की परिधि में स्थापित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के साथ (5-10 प्रतिशत तक) बायोमास आधारित पैलेट, टोरेफाइड पैलेट/ब्रीकेट (धान की पराली पर ध्यान देते हुए) को साथ में जलाने का निर्देश दिया।
8. धान के भूसे आधारित पेलेटाइजेशन और टॉरेफेक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, जिसके तहत केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिले में उत्पन्न धान के भूसे का उपयोग करके पेलेटाइजेशन और टॉरफेक्शन संयंत्र स्थापित करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों/उद्यमियों/कंपनियों को पूंजी निवेश पर एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
9. केवल दाह संस्कार के उद्देश्य से धान के भूसे आधारित ब्रिकेट के उपयोग हेतु भूसे आधारित ब्रिकेटिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के एनसीटी तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों के नगर निगमों को सहायता देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
10. पराली जलाने की अवधि के दौरान आग की सक्रिय घटनाओं (एएफई) की दैनिक निगरानी की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर आयोग के साथ रिपोर्ट साझा की जाती है।

*****